

प्रीलिमिंस फैक्ट्स : 3 जनवरी, 2019

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना [Pradhan Mantri-Jan Arogya Yojana (PM-JAY)] के बेहतर क्रियान्वयन के लिये **राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (National Health Agency) का पुनर्गठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority) के रूप में** करने की स्वीकृति दे दी है।

- इस मंजूरी के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी भंग कर दी गई है तथा इसके स्थान पर **परिवार और कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare) से संबद्ध कार्यालय के रूप में** राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाया गया है।
- नरिणय लेने के वर्तमान **बहुस्तरीय ढाँचे के स्थान पर गवर्नगि बोर्ड (Governing Board)** बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गवर्नगि बोर्ड का अध्यक्ष होगा।
- गवर्नगि बोर्ड योजना को सुगम्य तरीके से लागू करने के लिये आवश्यक तेज़ गति से नरिणय लेने में सहायक होगा।
- गवर्नगि बोर्ड का गठन व्यापक स्तर पर किया गया है तथा **इसमें सरकार और क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है।** इसके अतिरिक्त गवर्नगि बोर्ड में बारी-बारी से राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा।
- **इसके अंतर्गत किसी नए कोष की स्थापना को स्वीकृति नहीं दी गई है।** सूचना प्रौद्योगिकी (IT), मानव संसाधन, आधारभूत संरचना, संचालन लागत सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के लिये पहले से स्वीकृत वर्तमान बजट का उपयोग प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण सक्षम, कारगर तथा पारदर्शी रूप से नरिणय लेने की प्रक्रिया के माध्यम से PM-JAY को लागू करने हेतु उत्तरदायी और अधिकृत होगा।